



दिल्ली विकास प्राधिकरण
गोपनीय शाखा

संस्थापना आदेश:- 155

दिनांक: 22.02.2022

विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. निम्नलिखित सहायक अनुभाग अधिकारियों को सहायक निदेशक (मिनिस्ट्रीयल) के पद पर सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 8 (47,600-1,51,100/- रु.) (जो कि छठे वेतन आयोग में 9300-34800/- रु. के पे बैंड में 4800/- रु. के ग्रेड पे था) पदोन्नत करते हैं:

क्रम सं./ वरि.सं.	नाम व पिता / पति का नाम सर्वश्री/-	तैनाती का वर्तमान स्थान
1/ 2109	श्री सचिन यादव सुपुत्र श्री आर. के. यादव	आयुक्त (कार्मिक)
2/ 2110	श्री प्रशांत कुमार सुपुत्र श्री रविंदर प्रसाद	कठपुतली कॉलोनी (पी. एम. ए. वाई.)
3/ 2111	श्री तरुन यादव सुपुत्र श्री किशोर यादव	भूमि निपटान

2. यदि उपरोक्त अधिकारियों को ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी.स्कीम के अंतर्गत 9300-34800/- रु. के वेतनमान में 4800/- रु. के ग्रेड पे सहित (छठा वेतन आयोग) (जो कि सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 8 है) पहले ही वित्तीय अभिवृद्धि प्रदान कर दी गई है, तो उन्हें कोई वित्तीय लाभ की अनुमति नहीं होगी परन्तु उनका वेतन सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 8 में निर्धारित होगा। यदि पहले वित्तीय लाभ नहीं मिला है तो उनके वेतन का निर्धारण सातवें वेतन आयोग के प्रावधानों के आधार पर होगा। उनके वेतन का निर्धारण एफ.आर.22(1)(क)(1) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित किया जाएगा तथा वे इस आदेश की प्रभावी होने की तिथि के 30 दिन के भीतर एफ.आर.22(1)(क)(1) के प्रावधानों के अनुसार अपने वेतन निर्धारण के विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।

3. सहायक निदेशक (मिनिस्ट्रीयल) के पद पर उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति के परिणामस्वरूप सक्षम अधिकारी ने उन्हें निम्नानुसार तैनात किया है:

क्रम सं. / वरि.सं.	नाम व पिता/पति का नाम सर्वश्री/-	स्थान से	स्थान को
1/ 2109	श्री सचिन यादव सुपुत्र श्री आर. के.यादव	पदोन्नति पर	कार्मिक शाखा
2/ 2110	श्री प्रशांत कुमार सुपुत्र श्री रविंदर प्रसाद	पदोन्नति पर	निदेशक (उद्यान) उत्तर पश्चिम
3/ 2111	श्री तरुन यादव सुपुत्र श्री किशोर यादव	पदोन्नति पर	भूमि निपटान

4. उन्हें आगे कार्यभार ग्रहण करने की सूचना की एक प्रति उप निदेशक (कार्मिक)-1 को भेजते हुए अपने संबंधित अधिकारी को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया जाता है।

(प्रमोद कुमार)

उप निदेशक (गोपनीय शाखा)

दिनांक:- 22.02.2022

सं.एफ.10(72)2021/सी.सी./162

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव को सूचनार्थ।
2. प्रधान आयुक्त, (कार्मिक) / (उद्यान), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
3. आयुक्त (कार्मिक) / (भूमि निपटान), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।



: 2 :

4. निदेशक उद्यान (उत्तर पश्चिम) / भूमि निपटान, दि.वि.प्रा. ।
5. निदेशक (कार्मिक)-1 एवं 2 / सतर्कता 1 एवं 2 / आवास - 2 , दि.वि.प्रा. ।
6. उप निदेशक (कार्मिक)- 1 एवं 3 / सतर्कता(प्रशा.) / भूमि निपटान (समन्वय) / आवास (समन्वय) / आरक्षण कक्ष , दि.वि.प्रा।
7. उप निदेशक (प्रणाली), दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर डालने हेतु (About us->Organisation->Personnel->Promotions 2022)
8. सम्बंधित लेखाधिकारी (संस्था), राजपत्रित / अराजपत्रित /पी. ऐ. ओ. (ई. डब्ल्यू.), दि.वि.प्रा.।
9. सहायक निदेशक (कार्मिक)-1 एवं 3 / पी.आई.एम.एस. / गोपनीय कक्ष-2, दि.वि.प्रा. ।
10. उक्त उल्लिखित अधिकारी ।
11. व्यक्तिगत फाइल / संस्थापना आदेश पुस्तिका / गार्ड फाइल।

रोहित
22/2/22

(रोहित माथुर)

सहायक निदेशक (गोपनीय)